राजबाबु एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं. 895/2003)

24 जुलाई, 2008

[न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन और डॉ. मुकुंदकम शर्मा]

दंड संहिता, 1860 – अभीयोग अंतर्गत धारा 306 और 498-ए- पति, सास और ससुर-विवाह के सात वर्षों के भीतर कि गई आत्महत्या- कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही- मृत्यु घोषणा में मृतका ने सभी को दोषमुक्त कर दिया – विचारण न्यायालय ने मृतका द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर पति और सास को दोषी ठहराया और ससुर को दोषमुक्त किया- आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपील में बरकरार रखा गया- अभिनिर्धारित किया गयाःपति की मृत्यु के कारण, उसकी अपील अबेट कर दी गई - सास की दोषसिद्धि उचित नहीं थी - वह संदेह का लाभ पाने की हकदार थ- –पत्र या मृतका की माँ और भाभी की गवाही किसी भी कार्य या घटना का खुलासा नहीं करती जिससे दुष्प्रेरणा व क्रूरता का मामला बनाया जा सके - सबूतों को ध्यान में रखते हुए, धारा 306 भारतीय दंड संहिता का अपराध में दोषसिद्ध करने के लिये साक्ष्य अधिनियम, 1872 – उपधारना अंतर्गत धारा

113-ए की उपधारणा आकर्षित नही होती।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – उपधारना अंतर्गत धारा 113-ए- प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित किया: ऐसी उपधारना पर विचार, धारा 498-क भा. द. स. में 'क्रूरता' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए - केवल यह तथ्य कि महिला ने विवाह के सात साल के भीतर आत्महत्या की है और पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार हुई, स्वचालित रूप से इस उपधारणा को जन्म नहीं देता है।

3 आरोपियों के खिलाफ धारा 306 और 498-ए के तहत मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतका की शादी घटना से दो साल पहले आरोपी संख्या 1-पति से हुई थी। घटना के समय कोई भी आरोपी घर पर नही थे, पत्नी द्वारा खुद को आग लगाने की खबर मिलने पर आरोपी पति घर आया और फिर मामले की सूचना पुलिस को दी. वह मृतका को अस्पताल ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन ले गया। वहां पुलिस स्टेशन प्रभारी द्वारा उसका मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने आरोपी ससुर को दोषमुक्त कर दिया और आरोपी पति और आरोपी सास को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा. इसलिए वर्तमान अपील। अपील के लंबित रहने के दौरान आरोपी-पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी अपील निष्फल हो गई।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

1.1. अपीलकर्ता नंबर 2-अभियुक्त (सास) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498-ए के तहत पारित दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है और उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया गया है। [पैरा 20] [285-बी]

1.2. एकमात्र सबूत जो अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाने के लिए तैयार किया गया था और इस्तेमाल किया गया था, वह मृत्यु से पहले दिया गया बयान और प्रदर्श पी.1 जिसे मृतका द्वारा लिखा गया पत्र बताया गया है। पीडब्लू 1 और पीडब्लू 3 जैसे गवाहों में से, मृतका के पैतृक घर के परिवार के सदस्यों ने अपने बयान में ससुराल परिवार द्वारा मृतिका के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार के बारे में बताया है। [पैरा 6] [277-डी, ई]

1.3. उक्त मृत्युकालीन कथन के अवलोकन से यह सिद्ध और स्थापित हो जाएगा कि अपीलकर्ता के खिलाफ उक्त बयान में कुछ भी दोषी ठहराये जाने योग्य नहीं है और इसलिए, जहां तक अभियोजन का संबंध है, उक्त मृत्युकालीन बयान, जो कि प्रकृति में दोषमुक्ति का था, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और इससे आरोपी अपीलकर्ताओं को मदद मिलेगी। [पैरा 8] [278 - बी, सी]

1.4. एकमात्र पत्र (प्रदर्श पी-1) के आधार पर अपीलकर्ता संख्या 2 के

विरुद्ध दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। अपने बयान पीडब्लू 1 में बेशक सास के बारे में कुछ आरोप लगाए गए थे, लेकिन केवल उस बयान से यह नहीं कहा जा सकता कि आत्महत्या के कृत्य में उसका सीधे तौर पर कोई हाथ था। जहां तक पीडब्लू 1 और पीडब्लू 3 के साक्ष्य का प्रश्न है, वहां केवल इस हद तक साक्ष्य है कि कई बार अपीलकर्ता द्वारा मृतका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने या तो मृतका को आत्महत्या करने में सहायता की या उकसाया या आत्महत्या करने में उसकी सहायता करने के लिए किसी साजिश में शामिल हुआ। [पैरा 10, 13 और 15] [279-बी, 280-डी, ई, 281-ए]

2.1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान के तहत ऐसी उपधारणा करने का विवेकाधिकार देती है, जिसका अर्थ है कि जहां आरोप क्रूरता का है भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए में 'क्रूरता' शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए, उसे उस क्रूरता की प्रकृति पर विचार करना चाहिए जिसके अधीन महिला थी। न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या कथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा हो। केवल यह तथ्य कि एक महिला ने अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर ली और वह अपने पति या पति के

किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार हुई थी, स्वत: ही इस उपधारणा को जन्म नहीं देता है कि उसे उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया गया था।[पैरा 15] [281- सी,डी,ई,एफ]

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **2001 (9) एससीसी 618**; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जयसवाल **1994 (1) एससीसी 73-पर आधारित**।

2.2. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह बताता है कि मृतका एक पढ़े-लिखे परिवार में शादी करना चाहती थी। वह इस बात से खुश नहीं थी कि उसका पति अनपढ़ था और अपने पति और पति के परिवार की स्थिति से भी नाखुश थी। परिवार गरीब होने के कारण उसे कुछ घरेलू काम भी करने पड़ते थे, जिससे वह खुश नहीं थी। मृतिका का मानना था कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 से विवाह करने से उसका जीवन बर्बाद हो गया है। यह पत्र मृतिका के प्रति उसके ससुराल वालों के रवैये को दर्शाता है। उक्त पत्र में किसी भी कार्य या घटना का कोई संदर्भ नहीं था जिसके तहत अपीलकर्ताओं पर जानबूझकर कोई कार्य या चूक करने या जानबूझकर मृतका को आत्महत्या करने के लिए सहायता करने या उकसाने का आरोप लगाया गया। ऐसे कमजोर सबूतों पर, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध का दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत उपधारना आकर्षित होना

नहीं माना जा सकता। [पैरा 16 और 17] [283 - जी, 284 - ए, बी, सी]

3.1. भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत भी कोई अपराध नहीं बनता। हालाँकि पत्र में इस तथ्य का उल्लेख है कि परिवार का रवैया मृतका के प्रति अच्छा नहीं था और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन ऐसी किसी भी घटना का कोई उल्लेख नहीं है था। पी.डब्ल्यू 1 और पी.डब्ल्यू 3 ने अपने बयानों में इस बात पर जोर दिया है कि मृतका की सास मृतका को हाथ से चलने वाली आटा चक्की चलाने के लिए कहती थी, जिसकी उसे आदत नहीं थी। वर्ष 1988 में जब यह घटना घटी, तब हाथ से चलने वाली आटा चक्कियाँ सामान्य थीं। इन चक्कियों का उपयोग गांवों में गरीब परिवारों की महिलाओं द्वारा किया जाता है और आज भी देश के कुछ गांवों में इसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार किसी को उस समय उसे चलाने के लिए कहना क्रूरता का कार्य नहीं हो सकता है। [पैरा 18] [284-सी,डी,ई,एफ]

3.2 उक्त कथनों में एक ऐसी घटना का भी उल्लेख है जिसमें मृतिका को उसके पति द्वारा पीटा गया था। उक्त कृत्य के लिए सास (अपीलकर्ता संख्या 2) को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता; बल्कि पी.डब्ल्यू 3 के पत्रवाली पर साक्ष्य है जिसमें कहा था कि अपीलकर्ता नंबर 2 ने एक बार अपने बेटे को रोका था। हालाँकि पी.डब्ल्यू 1 के बयान में एक या दो घटनाओं का उल्लेख है जब वर्तमान अपीलकर्ता ने मृतका की पिटाई की

थी लेकिन इसमें अलंकरण की संभावना प्रतीत होती है। मृतका के पिता (पीडब्ल्यू-2) ने अपने साक्ष्य में ससुराल में उनकी बेटी पर हो रहे अत्याचार के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। [पैरा 19] [284-एफ,जी, 285-ए]

न्यायिक निर्णय संदर्भ-

2001 (9) एससीसी 618 भरोसा किया पैरा 15

1994 (1) एससीसी 73 भरोसा किया पैरा 15

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 895/2003

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के 1989 आपराधिक अपील संख्या. 618,आदेश एवं निर्णय दिनांक 23.9.2002 से।

शिव सागर तिवारी अपीलकर्ता की ओर से।

विभा दत्ता मखीजा प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय निर्णय न्यायाधिपति डॉ मुकुंदकम शर्मा, द्वारा सुनाया गया।

1. इस आदेश के ज़रिए अपीलकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 23-9-2002 के विरुद्ध अपील का निस्तारण किया जा रहा है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय और आदेश दिनांक 17-6-1989 के विरुद्ध

अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खुरई ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 306 और 498 ए के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को प्रत्येक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

2. मृतिका शांति बाई पुत्री जनक रानी (पीडब्लू 1) और ज्ञान दास (पीडब्लू 2) का विवाह राजबाबू (अपीलकर्ता सं.1) से घटना की दिनांक से दो साल पहले हुआ था। 17.7.1988 को शांति बाई ने अपने वैवाहिक घर में खुद को आग लगा ली और जलने की चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय घटना घटी उस समय अपीलकर्ता संख्या 2, श्रीमती मुन्नीबाई (मृतका की सास) कुएं से पानी लाने गयी थी। अपीलार्थी क्रमांक 2 के पति श्री जगत बन्धु राजबाबू (मृतका के ससुर), जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, किसी अन्य स्थान पर गए हुए थे, जबकि अपीलकर्ता संख्या 1 जंगल से लकड़ी काटने गया था। अपीलकर्ता संख्या 1 को घटना के बारे में पता चलने पर तुरंत वापस आया और पुलिस स्टेशन भानगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे हेड कांस्टेबल नर्वदा प्रसाद ने दर्ज किया था, जिसको विचारण के दौरान पी.डब्ल्यू-9 के रूप में परीक्षित किया गया था। उक्त रिपोर्ट जो अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा दर्ज की गई थी, विचरण के दौरान प्रदर्श पी्. 16 चिह्नित की गई थी।

मृतका को इलाज के लिए बीना के सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन, करोंदा ले जाया गया। थाना प्रभारी, श्री अशोक चौरसिया (पीडब्लू.8), भी रेलवे स्टेशन पहुंचे और मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि शांति बाई की घर में खाना बनाते समय दुर्घटनावश आग लगने से मृत्यु हो गई। उक्त मृत्यु पूर्व बयान में मृतका ने अपने वैवाहिक घर के सभी सदस्यों को दोषमुक्त कर दिया। इसके तुरंत बाद रेलवे स्टेशन पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया और विचारण के दौरान प्रदर्श पी. 20 चिन्हित किया। उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका 90% जल गई था जो कि पोस्टमार्टम से पूर्व पाया गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उसके पूरा होने पर, राजबाबू- अपीलकर्ता संख्या 1, श्रीमती मुन्नीबाई- अपीलकर्ता नंबर 2, जो अपीलकर्ता नंबर 1 की मां है और जगत बंधु, अपीलकर्तासंख्या 1 के पिता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 306 और 498 ए के अन्तर्गत आरोप पत्र पेश किया गया। उपर्युक्त आरोप-पत्र के आधार पर, तीनों आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत मृतका के साथ क्रूरता का व्यवहार करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के जिसके परिणामस्वरूप उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली के आरोप तय किए गए।

3. विचारण के दौरान, आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए कुल मिलाकर आठ गवाहों की साक्ष्य ली गई। विचारण कोर्ट ने सुनवाई के बाद और रिकॉर्ड पर सबूतों की विवेचना करते हुए आरोपी संख्या 3, अपीलकर्ता संख्या 1 के पिता को दोषमुक्त कर दिया, जबकि अपीलकर्ता संख्या 1 और अपीलकर्ता संख्या 2 को धारा 306, 408 ए के तहत दोषी ठहराते हुए आदेश पारित किया गया कि उन दोनों के खिलाफ अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है। इसके बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने सजा का आदेश पारित किया, जिसमें दोनों अपीलकर्ताओं को प्रत्येक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलनी थीं। कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। उपर्युक्त फैसले के खिलाफ दोनों अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे 23 सितंबर, 2002 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं द्वारा यह अपील दायर की गई है, विचारण के दौरान उनको जमानत दे दी गई। वर्तमान अपील में इस न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया था।

4. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है। प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता अपील की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, हालाँकि उनका नाम दैनिक वाद सूची में दिखाया गया था। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने शुरुआत में ही हमारे ध्यान में लाया कि अपीलकर्ता नंबर 1 अर्थात्, जगत बंधु के पुत्र राजबाबू की मृत्यु 27

सितंबर, 2005 को ग्राम सबगा में हो गई थी। उक्त अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाने के कारण, उसके द्वारा दायर की गई अपील समाप्त हो गई है और इसलिए निष्फल हो गई है। इसलिए, यह अपील केवल आरोपी/अपीलकर्ता संख्या 2, अर्थात् श्रीमती मुन्नीबाई तक ही है।

5. अपीलकर्ता, श्रीमती मुन्नीबाई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतका की मृत्यु उसके वैवाहिक घर में रसोई में खाना बनाते समय जलने से हुई चोटों से हुई थी और रिकॉर्ड से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि परिवार के अन्य सभी सदस्य, घटना के समय मौजूद नहीं थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला स्वयं इंगित करता है कि अपीलकर्ता नंबर 2 पानी लाने के लिए घर से बाहर गई थी और इसलिए, उसे भा. द. स. की धारा 306 या 498 ए के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि एकमात्र आपत्तिजनक सबूत जो उसके खिलाफ उपलब्ध कहा जा सकता है वह, वह पत्र है जो कथित तौर पर मृतका द्वारा लिखा गया था और जिसे प्रदर्श पी 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था और जो एक मृत्युपूर्व बयान है जिसे श्री अशोक चौरसिया, अनुसंधान अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था जो पी.डब्ल्यू 8 के रूप में परीक्षित हुए है। उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी मृतका द्वारा आत्महत्या के कृत्य में अपीलकर्ता के अपराध को इंगित नहीं करता है।

6. हमने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों सहित रिकॉर्ड के प्रकाश में उपर्युक्त तर्को पर विचार किया है। मृतका द्वारा की गई आत्महत्या के कृत्य का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, क्योंकि वह वैवाहिक घर में प्रासंगिक समय पर उपलब्ध एकमात्र व्यक्ति थी। उस वक्त वह घर से बाहर गए परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बना रही थी। उसका पति, अपीलकर्ता संख्या 1 लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था, जबकि उसके ससुर, जो मूल आरोपी नंबर 3 थे, किसी अन्य काम के लिए घर से बाहर गए थे और जबकि हमारे सामने एकमात्र अपीलकर्ता पानी लाने के लिए घर से बाहर गई थी। एकमात्र सबूत जो प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वह मृत्यु पूर्व बयान थी। एवं मृतका द्वारा लिखा गया एक पत्र बताया गया है, पीडब्लू 1 और पीडब्लू 3 जैसे कुछ गवाहों, मृतका के पैतृक घर के परिवार के सदस्यों ने कथित दुर्व्यवहार के बारे में अपने बयान में कहा है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध उक्त साक्ष्यों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है।

7. मृत्यु पूर्व बयान 17.7.1988 को लगभग 12.45 बजे जांच अधिकारी, पीडब्ल्यू 8 द्वारा रेलवे स्टेशन पर जहां से मृतका को चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाना था दर्ज किया गया था। घटना सुबह करीब साढ़े दस बजे की है। मृतका ने कुछ ग्रामीणों की उपस्थिति में दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि जब वह खाना बना रही थी

तो मिट्टी का तेल डालने के दौरान उसकी साड़ी के एक सिरे में आग लग गई और वह जल गई। मृत्यु पूर्व बयान में उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि उसने स्वयं आग नहीं लगाई और किसी ने भी उस पर आग नहीं लगाई और भोजन बनाते समय उसकी साड़ी में दुर्घटनावश आग लग गई। उसने उक्त मृत्यु पूर्व बयान में स्पष्ट रूप से कहा है की वहां कोई झगड़ा नही हुआ था एवं ससुराल के घर में कोई समस्या नही थी उक्त बयान उसे पढाने के बाद जलने से चोट के कारण अंगूठा निशानी ली गई।

8. विचारण न्यायालयों ने उक्त मृत्युपूर्व बयान के साक्ष्य मूल्य पर सवाल उठाया है। उक्त मृत्युकालीन बयान के अवलोकन से यह साबित हो जाएगा कि अपीलकर्ता के खिलाफ उक्त बयान में कुछ भी दोषी ठहराने योग्य नहीं है और इसलिए, जहां तक अभियोजन का संबंध है, उक्त मृत्युकालीन बयान, जो कि दोषमुक्ति प्रकृति का था, का कोई महत्व और प्रासंगिकता नहीं है और बल्कि इससे आरोपी अपीलकर्ताओं को मदद मिलेगी। चूँकि उक्त दस्तावेज़ में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, इसलिए न तो हम इच्छुक हैं और न ही हमें उक्त दस्तावेज़ के साक्ष्य मूल्य के प्रश्न पर जाने की आवश्यकता है।

9. आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ अन्य अभियोगात्मक दस्तावेज प्रदर्शन पी.1 के रूप में प्रदर्शित अदिनांकित पत्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पत्र मृतिका द्वारा पिता, माता एवं पति के छोटे भाइयों को संबोधित

करते हुए लिखा गया है। उक्त बयान में मृतिका ने कहा है कि वह अपने वैवाहिक घर के परिवार के माहौल को बर्दाश्त करने में असमर्थ है। उसने यह भी कहा कि वह नर्क में रहना पसंद करती है क्योंकि ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसी हरकतें की हैं जिनका जिक्र करना बेकार है। उसने यह भी कहा है कि जो कुछ भी किया गया वह ठीक था। अपने पत्र में उसने कहा है कि उसने हमेशा अपने सास-ससुर को अपने माता-पिता से बढ़कर माना है और इसके बाद भी उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसमें बताया गया है कि उसके आने के बाद वैवाहिक घर बर्बाद हो गया और उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया। उसने कहा है कि उसकी सास ने कहा था कि अगर उसे (शांति बाई) को अपने घर में रखा तो कुछ नहीं बचेगा। उस मामले को देखते हुए वह न तो खुद पर और न ही अपने ससुराल वालों पर बोझ बनना चाहती थी और वह पल उसके जीवन का आखिरी समय था। बेशक, पत्र में कोई तारीख नहीं लिखी है, लेकिन पत्र के अंत में लिखा है कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका जीवन लंबा था लेकिन कठोर शब्दों ने उसके जीवन को अधूरा बना दिया था और उसके पास आगे लिखने के लिए समय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पत्र घटना की तारीख को लिखा गया था और उक्त पत्र में उसने अपने सभी भावों, भावनाओं और परिवार के प्रति अवमानना को व्यक्त किया था। उक्त पत्र उस कमरे से जब्त बक्से में पाया गया जहां घटना हुई थी।

10. इसलिए, हमारे विचार के लिए विवादक बिन्दु यह है कि क्या केवल उक्त पत्र के आधार पर अपीलकर्ता संख्या 2 के खिलाफ दोषसिद्धि की जा सकती है।

11. अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू 1 के रूप में मृतका की मां को परीक्षित किया गया। उसने अपने बयान में कहा था कि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि ससुराल में उसकी सास उसे हाथ से आटा चक्की चलाने के लिए कहती थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनका दामाद राज बाबू भी उनकी बेटी से झगड़ा करता था और उसे पीटता था। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि उनकी सास उनके पिता और भाइयों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती थीं। उसने आगे बताया कि एक बार उसका पति शांति बाई को लाने गया था, उस समय उसकी सास ने उसे नहीं भेजा बल्कि बर्तन साफ करने पर उसकी मौजूदगी में उसकी पिटाई की। इसके बाद उसका पति वापस आ गया। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि उसकी बेटी शिक्षित बनना चाहती थी और रोजगार के लिए जाना चाहती थी। ससुराल से वापस आने के बाद उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उसका पति पढ़े-लिखे नहीं हैं और परिवार गरीब है, जिसे लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया। उसकी बेटी ने उससे कहा कि उस घर में उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और इस बात पर वह बहुत दुखी थी। उनका यह भी कहना था कि उनकी बेटी ने कभी भी ससुराल से कोई पत्र नहीं भेजा. उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे बताया कि मृतका ने कभी भी अपनी

परेशानियों के बारे में अपने रिश्तेदारों और समाज के सदस्यों को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह कभी भी अपने जीवन को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी।

12. हमारे पास मृतका की भाभी श्रीमति कमला रानी का कथन भी अभिलेख पर मौजूद है, जिसकी परीक्षा पीडब्ल्यू 3 के रूप में की गई थी। उसने यह भी बताया कि जब शांति बाई पहली बार अपने ससुराल से वापस आई तो उसने उसे बताया कि उसका पति और सास उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। उसे हाथ से चलने वाली आटाचक्की चलाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसकी उसे आदत नहीं थी और जब वह आटाचक्की चलाने में समर्थ नहीं थी, तो उसकी सास और पति उसे पीटते थे। अपनी साक्ष्य में यह भी कहा गया है कि ससुराल से वापस आने के बाद शांति बाई ने उसे बताया कि एक बार उसके और उसकी सास के बीच झगड़ा हुआ था और उक्त मुद्दे पर उसका पति उसे जलाना चाहता था लेकिन उसी समय उसकी सास ने उसके पति को रोका कि वह उस समय ऐसा न करे। अपने बयान में आगे कहा गया कि शांति बाई ने उससे कहा था कि वह यह कहानी अपने किसी भी भाई को न सुनाए। प्रदर्शपी.1 की सामग्री को पीडब्ल्यू 3 द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उक्त पत्र मृतका शांति बाई द्वारा लिखा गया था।

13. पीडब्लू 1 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है और पीडब्लू 3 (मृतका

की भाभी) के बयान से भी इसकी पुष्टि होती है कि मृतिका ने ग्यारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और आगे पढ़ना चाहती थी और नौकरी करना चाहती थी लेकिन चूंकि उसका पति पढ़ा-लिखा नहीं था और चूंकि परिवार गरीब था, इसलिए वे उसकी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सके और वे उसे रोजगार के लिए भी नहीं जाने दे सकते थे, जिससे वह परेशान थी। पीडब्ल्यू 1 ने अपने बयान में बेशक सास के बारे में कुछ आरोप लगाए थे लेकिन केवल उस बयान से यह नहीं कहा जा सकता कि आत्महत्या के कृत्य में उसका सीधे तौर पर कोई हाथ था। जहां तक पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 3 के साक्ष्य का सवाल है, केवल इस सीमा तक ही साक्ष्य है कि कभी-कभी अपीलकर्ता द्वारा मृतका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था।

14. बेशक, विद्वान न्यायालयों द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 113 ए के प्रावधानों पर भरोसा किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित है, उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 107 में दुष्प्रेरण की सामग्री बताई गई है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाना या किसी कार्य को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों को शामिल करना शामिल है, और उस षड़यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप किया जाता है; या किसी कार्य द्वारा जानबूझकर सहायता करना

या उस चीज़ को करने में अवैध लोप करना।

15. वर्तमान मामले में यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने या तो मृतका को आत्महत्या करने के लिए सहायता की या उकसाया या आत्महत्या करने में उसकी सहायता करने के लिए किसी षड़यंत्र में शामिल हुई। प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए पर भरोसा जताया, जिसके तहत न्यायालय उसमें वर्णित परिस्थितियों के साबित होने पर और मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि अभियुक्त द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। धारा 113-ए का स्पष्टीकरण आगे स्पष्ट करता है कि क्रूरता का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए में है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत, अभियोजन पक्ष को सबसे पहले यह स्थापित करना होगा कि संबंधित महिला ने अपनी शादी की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार ने उसके साथ क्रूरता की थी। धारा 113-ए न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी उपधारणा करने का विवेक देती है, जिसका अर्थ है कि जहां आरोप क्रूरता का है, तो न्यायालय को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए में "क्रूरता" शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए, उस क्रूरता की प्रकृति पर विचार करना चाहिए जिसके अधीन वह महिला थी। केवल यह तथ्य कि एक

महिला ने अपनी शादी के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली और वह अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार हुई थी, इस उपधारणा को स्वतः ही जन्म नहीं देती है कि आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार ने उकसाया था। न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक है। न्यायालय को, जिन परिस्थितियों पर विचार करना है, उनमें से एक यह है कि क्या कथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सकता था या जो महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा हो सकती थी। इस विधि को रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618 में प्रकाशित निर्णय में संक्षेप में बताया गया जिसमें इस न्यायालय ने माना :

> "12. यह प्रावधान 26-12-1983 से आपराधिक विधि (द्वितीय) संशोधन अधिनियम , 1983 द्वारा पेश किया गया था ताकि सबूत की कठिनाई को हल करने की सामाजिक मांग को पूरा किया जा सके, जहां असहाय विवाहित महिलाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता था। पति या ससुराल वाले और अभियोगात्मक साक्ष्य आम तौर पर वैवाहिक घर के चारों कोनों के भीतर उपलब्ध होते थे और इसलिए घर के रहने वालों के बाहर किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं होते थे। हालाँकि, फिर भी इस बात को

नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस उपधारणा का उद्देश्य आपराधिक विधि के क्षेत्र में अभियुक्त के खिलाफ उपयोग करना है । उपधारणा करने से पूर्व , उसकी नींव मौजूद होनी चाहिए। धारा 113-ए को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए , यह दिखाया जाना चाहिए कि:(i) महिला ने आत्महत्या की है, (ii) ऐसी आत्महत्या उसकी शादी की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर की गई है, (iii) पति या पति के नातेदार , जिन पर आरोप है, ने उसके साथ क्रूरता की थी। उपरोक्त परिस्थितियों के अस्तित्व और उपलब्धता पर, न्यायालय यह मान सकता है कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया था। संसद ने सावधानी बरतने का फैसला किया है। सबसे पहले, यह उपधारणा अनिवार्य नहीं है; यह केवल अनुमेय है जैसा कि 'मान सकता है' अभिव्यक्ति के प्रयोग से पता चलता है। दूसरे, उपरोक्त तीन परिस्थितियों का अस्तित्व और उपलब्धता, एक सूत्र की तरह, उपधारणा लगाने में समर्थ नहीं बनाएगी ; उपधारणा करने से पहले न्यायालय को 'मामले की अन्य सभी परिस्थितियों' को ध्यान में रखना होगा। मामले की अन्य सभी परिस्थितियों

पर विचार करने से उपधारणा सुदृढ़ हो सकती है या न्यायालय के विवेक को उपधारणा करने से रुकने करने के लिए निर्देशित कर सकती है। धारा 113-ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति - 'मामले की अन्य परिस्थितियाँ' एक उपधारणा करने के उद्देश्य से क्रूरता और आत्महत्या के बीच कारण-और-प्रभाव के संबंध तक पहुँचने की आवश्यकता का सुझाव देती है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपधारणा अखंडनीय नहीं है। एक उपधारणा किये जाने के बावजूद बचाव में पेश किए गए साक्ष्य या अभिलेख पर अन्यथा उपलब्ध तथ्य और परिस्थितियां उपधारणा को समाप्त कर सकती हैं। धारा 113-ए में इस्तेमाल किया गया वाक्यांश 'मान सकता है' को साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है, जो कहता है - 'जब भी इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान सकता है, तो वह ऐसे तथ्य को साबित मान सकता है, जब तक कि यह नासाबित न हो जाए, या इसे साबित करने कि मांग कर सकता है।"

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जयसवाल (1994) 1 एससीसी 73 में इस न्यायालय ने माना:

"15. हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि एक सिविल कार्यवाही में सबूत की डिग्री जितनी आवश्यकता होती है आपराधिक विचारण में उससे अधिक सख्त होती है। एक आपराधिक विचारण में मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ कितनी भी पेचीदा क्यों न हों, अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित होने चाहिए किया गया है। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत की आवश्यकता भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 498-ए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की शुरूआत के बाद भी नहीं बदली है। हालाँकि, न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी को वहां दोषी नहीं ठहराया जाता है जब अभिकथित अपराधों के संबंध में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में युक्तियुक्त संदेह हो। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक आपराधिक विचारण में सबूत के लिए कोई पूर्ण मानक नहीं है। और यह सवाल कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित हुए हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मामले में पेश किए गए साक्ष्यों की गुणवत्ता और अभिलेख पर रखी गई सामग्रियों पर निर्भर होना चाहिए। बैटर बनाम बैटर (1950) 2 ऑल ईआर 458 (आल ईआर पेज 459 पर) में

लॉर्ड डेनिंग ने संप्रेक्षित किया कि संदेह एक उचित व्यक्ति का होना चाहिए और अपनाया गया मानक, विशेष विषय-वस्तु पर विचार करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, एक उचित और न्यायपूर्ण व्यक्ति द्वारा अपनाए आने वाले मानक के समान होना चाहिए।"

16. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। यहां एक ऐसा मामला है जहां अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका एक पढ़े-लिखे परिवार में शादी करना चाहती थी। वह इस बात से खुश नहीं थी कि उसका पति अनपढ़ था और वह अपने पति के परिवार की स्थिति और परिस्थितियों से भी खुश नहीं थी। परिवार गरीब होने के कारण उसे कुछ घरेलू काम भी करने पड़ते थे। मृतिका का मानना था कि अपीलकर्ता संख्या 1 से विवाह करने से उसका जीवन बर्बाद हो गया है। यह पत्र मृतिका के प्रति उसके ससुराल वालों के रवैये को दर्शाता है। उक्त पत्र में किसी भी कार्य या घटना का कोई संदर्भ नहीं था जिसके तहत अपीलकर्ताओं पर जानबूझकर कोई कार्य या लोप करने या जानबूझकर मृतका को आत्महत्या करने के लिए सहायता करने या उकसाने का आरोप लगाया गया था।

17. इसलिए, ऐसे कमजोर साक्ष्यों पर, हम अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत अपराध का दोषी ठहराने के लिए

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत उपधारणा को लागू करने के लिए रजामंद नहीं हैं।

18. अगला प्रश्न जो हमारे विचार के लिए है वह यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत अपराध बनता है। हालांकि कथित तौर पर मृतिका द्वारा लिखे गए पत्र में इस बात का जिक्र है कि परिवार का रवैया मृतिका के प्रति अच्छा नहीं था और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था लेकिन ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है। पीडब्ल्यू 1 और पीडब्ल्यू 3 ने अपने बयानों में इस बात पर जोर दिया है कि मृतका की सास मृतका को हाथ से चलने वाली आटा चक्की चलाने के लिए कहती थी, जिसकी उसे आदत नहीं थी। वर्ष 1988 में जब उपर्युक्त घटना घटी थी, हाथ से चलने वाली आटा चक्कियों का उपयोग आमतौर पर गाँवों में गरीब परिवारों की महिलाएँ करती थीं और आज भी देश के कुछ गाँवों में इसका उपयोग पाया जा सकता है। इस प्रकार किसी को उस समय उसे चलाने के लिए कहना क्रूरता का कार्य नहीं हो सकता है।

19. उक्त कथनों में एक घटना का भी जिक्र है जिसमें मृतिका को उसके पति ने पीटा था। उक्त कृत्य के लिए सास (अपीलकर्ता संख्या 2) को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता; बल्कि पीडब्ल्यू 3 के अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है जिसने कहा था कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने एक बार अपने

बेटे को रोका भी था। हालाँकि पीडब्लू 1 के बयान में एक या दो घटनाओं का उल्लेख है जब वर्तमान अपीलकर्ता ने मृतका की पिटाई की थी लेकिन इसमें अलंकरण की संभावना प्रतीत होती है। मृतका के पिता (पीडब्लू2) ने अपने बयान में अपनी बेटी पर ससुराल में होने वाली क्रूरता के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। उक्त साक्ष्यों और पीडब्लू1 और पीडब्लू3 द्वारा दिए गए बयानों का विश्लेषण करने के बाद हमारी राय है कि अपीलकर्ता संख्या 2 को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

20. इसलिए, हम अपीलकर्ता संख्या 02 के विरुद्ध पारित भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 306 और 498 ए के तहत दोषसिद्धि को अपास्त कर उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करते है। जहां तक अपीलकर्ता संख्या 2 का संबंध है, अपील स्वीकार की जाती है। जहां तक अपीलकर्ता संख्या 1 का संबंध है, अपील का उपशमन किया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 2 पहले से ही जमानत पर है। उसे जमानत के बंधपत्र के निबंधनों से मुक्त किया जाता है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बी. एल. चन्देल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।